



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-पं.नि. 30-25/2015-2144

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन, बि.प्र.से
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)

पटना, दिनांक- 17.12.2015

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2016-पंचायत निकायों तथा ग्राम कचहरी के निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण/आवंटन से संबंधित निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 8939 दिनांक 20.12.2013 से संसूचित किया गया है कि पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का प्रकाशन कर वर्ष 2016 के पंचायत आम निर्वाचन कराने की कार्रवाई की जाए। उक्त पत्र के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 825 दिनांक 08.04.2015 से सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व से गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का प्रकाशन करने का कार्यक्रम दिया गया है। प्रेषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 20.04.2015 को प्रपत्र-1 में जनसंख्या का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। प्रारूप प्रकाशन पर आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात सभी आपत्तियों को मुखर आदेश द्वारा निष्पादित कर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार जनसंख्या का अंतिम प्रकाशन दिनांक 11.05.2015 को करने का निदेश दिया गया है। आशा है सभी जिलों में अंतिम प्रकाशन कर दिया गया होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर प्रपत्र-1 में अंतिम रूप में जिला राजपत्र में त्रुटिरहित प्रकाशित जनसंख्या (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित) ही आरक्षण अवधारण एवं आवंटन में उपयोग के लिए मानक जनसंख्या होगी एवं इस पर कोई विवाद मान्य नहीं होगा।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में क्रमशः ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा उक्त कोटि की महिलाओं एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। उक्त अधिनियम की धारा 2 (ख) के अनुसार "पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है " बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम

सं० 3, 1992) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम, 1992 की अनुसूची-2 में वर्णित पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए पंचायत चुनाव में कोई आरक्षण अनुमान्य नहीं है। उक्त प्रावधानों एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के अध्याय-3 (तीन) के नियम 9 से 18 से निर्धारित प्रक्रिया के तहत वर्ष 2006 के आम निर्वाचन के समय उक्त कोटियों के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों पर निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण/आवंटन आयोग द्वारा किया गया था।

3. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत आरक्षण में चक्रानुक्रम का सिद्धांत दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात लागू किया जाना है। स्थिति स्पष्ट करने हेतु धारा-13 (यथा संशोधित) का अवतरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है -

“ 13. स्थान का आरक्षण - (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्यों के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे :-

(क) अनुसूचित जाति;

(ख) अनुसूचित जनजाति; और

(ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से [दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात] चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात् शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित

किया जायेगा। वैसे स्थान उत्तरवर्ती चुनावों में [दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात] चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथाविहित रीति से [दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात] चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण:- [शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप-धारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा] “

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में भी यथास्थिति समरूप संशोधन किए गए हैं।

4. उक्त आलोक में वर्ष 2006 में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के पदों पर विभिन्न कोटियों के लिए किये गये आरक्षण को वर्ष 2011 पंचायत आम निर्वाचन के लिए भी यथावत रखा गया एवं उसी आधार पर वर्ष 2011 में पंचायत आम निर्वाचन संपन्न कराया गया।

5. आगामी पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2016 में संपन्न कराया जाना है, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम कचहरी के सरपंच, कुल छः पदों पर प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उप मुखिया एवं उप सरपंच के पदों पर अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।

6. आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में उक्त वर्णित विभिन्न कोटि के लिए पंचायत के पदों पर आरक्षण बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 13, 15, 38, 42, 65, 67, 91 एवं 93 के प्रावधानों एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के अध्याय-3 के नियम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 एवं 18 के प्रावधानों के तहत संपन्न कराया जाएगा।

7. वर्तमान में आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के संदर्भ में आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों पर कंडिका-2 में वर्णित कोटियों के लिए आरक्षण किया जाना है। ज्ञातव्य हो कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के सभी सदस्यों एवं इन संस्थाओं के अध्यक्षों के स्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं उनकी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, किन्तु ग्राम पंचायत के उप मुखिया, ग्राम कचहरी के उप सरपंच, पंचायत समिति के उप प्रमुख एवं जिला परिषद के उपाध्यक्ष के पदों पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इनमें से ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच तथा ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों पर आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला स्तर से आरक्षण/आवंटन प्रस्ताव तैयार कर आयोग को भेजा जाएगा एवं आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। **जिला परिषद के अध्यक्ष के पदों पर आयोग द्वारा स्वयं अपने स्तर पर आरक्षण कर सभी जिलों को कालक्रम में संसूचित किया जाएगा।**

8. त्रिस्तरीय पंचायत के पदों एवं ग्राम कचहरी के पदों पर विभिन्न कोटियों के लिए आरक्षण करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा :-

(i) ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद/ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर निर्वाचन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किए जायेंगे, परन्तु प्रत्येक स्तर पर ऐसे आरक्षित स्थानों की संख्या उस स्तर पर अनुमान्य कुल स्थानों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या एवं उस पंचायत/ग्राम कचहरी में कुल स्थानों की संख्या का अनुपात यथाशक्य वही होगा, जो अनुपात संबंधित पंचायत निकाय/ग्राम कचहरी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।

(iii) त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/ग्राम कचहरी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के बाद शेष बचे निर्वाचन क्षेत्रों में से उस क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या का 20 (बीस) प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जायेंगे, किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कुल स्थानों के 50 (पचास) प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी।

(iv) त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों एवं अन्य के लिए अनारक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(v) किसी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंचायत समिति के सदस्य के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत समिति में यथास्थिति मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के पदों की कुल संख्या से वही होगा, जो अनुपात संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।

(vi) किसी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य के कुल पदों के संख्या का 20 (बीस) प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किये जायेंगे किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कुल स्थानों के 50 (पचास) प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी।

(vii) किसी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य के कुल पदों में से प्रत्येक कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों एवं अन्य के लिए अनारक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(viii) किसी जिला में पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जिला में यथा स्थिति प्रमुख तथा जिला परिषद सदस्य के स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो अनुपात उस जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल ग्रामीण जनसंख्या से है।

(ix) किसी जिला में पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य के कुल पदों की संख्या का बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जायेंगे, किन्तु इनकी संख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कुल स्थानों के 50 (पचास) प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी।

(x) किसी जिला में पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद के सदस्य के कुल पदों में से प्रत्येक कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों एवं अन्य के लिए अनारक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

9. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के अध्याय-3 (तीन) में पंचायत निकायों तथा ग्राम कचहरी के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण, आवंटन एवं प्रकाशन का उल्लेख है। इसके आलोक में विभिन्न कोटियों के लिए आरक्षण हेतु पदों की संख्या की गणना प्रपत्र-2 के भाग-1 में की जाएगी। अध्याय-3 (तीन) के नियम-11 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कोटि के लिए आवंटन की प्रक्रिया स्पष्ट की गयी है। नियम-11 के उप नियम-1 के अनुसार विभिन्न कोटियों को अनुमान्य संख्या में चक्रानुक्रम में यथासंभव वही निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे, जिनमें जिला दंडाधिकारी द्वारा अवरोही क्रम में उस कोटि की निकाली गयी जनसंख्या अन्य कोटियों की जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक पायी जाय, परन्तु पिछड़ा वर्ग कोटि को अनुमान्य संख्या में चक्रानुक्रम में नियम-11 के उप नियम-3 में विहित रीति से शेष निर्वाचन क्षेत्रों में यथासंभव वे निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आते हैं।

10. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-11 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2006 में संपन्न आम निर्वाचन में त्रिस्तरीय पंचायत के पदों पर विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन अनुसूचित जनजाति, अन्य तथा अनुसूचित जाति के क्रम में किया गया था, जो वर्ष 2011 के आम निर्वाचन में भी यथावत् रहा है। वर्ष 2016 में संपन्न होने वाले पंचायत आम निर्वाचन में त्रिस्तरीय पंचायत के पदों पर विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु पहले चक्र में अन्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष अनुमान्य निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिए इसी क्रम की पुनरावृत्ति की जाएगी।

11. वर्ष 2006 में संपन्न आम निर्वाचन में ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच के पदों पर विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य के क्रम में किया गया था, जो वर्ष 2011 के आम निर्वाचन में भी यथावत् रहा है। वर्ष 2016 में संपन्न होने वाले पंचायत आम निर्वाचन में ग्राम कचहरी के पंच तथा सरपंच के पदों पर विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु पहले चक्र में अनुसूचित जनजाति, अन्य, अनुसूचित जाति के क्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष अनुमान्य निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने के लिए इसी क्रम की पुनरावृत्ति की जाएगी।

12. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 13 में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोटि विशेष के लिये एक ही पद उपलब्ध हो तो प्रथम चुनाव में वह निर्वाचन क्षेत्र उस कोटि विशेष की महिला के लिए आरक्षित होगा। यदि अगले चुनाव में भी कोटि विशेष के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हो, तो वह निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं होगा।

13. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम-14 के अनुसार "प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आनेवाले निर्वाचन क्षेत्रों को उस कोटि की महिलाओं को अनुमान्य संख्या में सर्वप्रथम आवंटित किया जायेगा।"

14. सभी प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण/आवंटन के समय बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 (3) का अनुसरण किया जाए जो निम्नवत् है :-

"11 (3) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र उसी कोटि के लिए अगले निर्वाचन में आरक्षित नहीं होगा।"

परन्तु यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी कोटि विशेष में महिला के लिए आरक्षित था तो अगले निर्वाचन में उस कोटि से भिन्न कोटि में महिला के लिए आरक्षित किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि यदि अन्य (अनारक्षित) कोटि में कोई निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित था तो अगले निर्वाचन में वह अन्य (अनारक्षित) कोटि में महिला के लिए आरक्षित नहीं हो सकेगा।

परन्तु यदि अन्य विकल्प नहीं हो तब पूर्ववर्ती निर्वाचन में किसी कोटि विशेष के लिये आवंटित निर्वाचन क्षेत्र उसी कोटि के लिये पश्चात्वर्ती निर्वाचन में पुनः आवंटित किया जा सकेगा।"

15. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आरक्षण अवधारण एवं आवंटन के निम्न प्रक्रम (stage) होंगे:-

(1) प्रपत्र-2 के भाग-1 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में पदों की गणना की जायेगी एवं 0.5 या उससे अधिक अंश को अगले पूर्ण अंक में सम्मिलित किया जाएगा। 0.5 से कम अंश को नजरअंदाज किया जायेगा। यथा 3.5 या 3.6 को 4 माना जायेगा, जबकि 3.4 को 3 माना जायेगा।

(2) पिछड़ा वर्गों के लिए कुल पदों का 20 प्रतिशत यथाशक्य किन्तु उससे अनधिक अर्थात् अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक गणना करना। इस गणना में अंश भाग यथा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एवं 0.9 को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अर्थात् 3.6/3.8 आदि को 3 ही माना जायेगा, 4 नहीं, क्योंकि 4 मानने पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 20 प्रतिशत की सीमा पार कर जायेगा।

(3) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमवाली 2006 के नियम 11 (3) एवं 14 के अनुसार गणना किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अन्य में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की गणना करना।

(4) प्रपत्र-2 के भाग-2 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार, कोटिवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य/कुल) जनसंख्या अंकित करना एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के साथ वर्ष 2006 में अनुमोदित आरक्षण की स्थिति को भी लघु रूप में अंकित करना (यथा- पिछड़ा वर्ग महिला के लिए BCW, पिछड़ा वर्ग के लिए BC, अनुसूचित जाति महिला के लिए SCW, अनुसूचित जाति के लिए SC, अनुसूचित जनजाति के लिए ST, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए STW, अनारक्षित महिला के लिए W)

(5) (i) प्रपत्र-2 के भाग-3 में चार पदों (ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य) के लिए अन्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कुल जनसंख्या का अवरोही क्रम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के साथ अंकित करना एवं दो पदों (ग्राम कचहरी पंच एवं ग्राम कचहरी सरपंच के लिए अनुसूचित जनजाति, अन्य, अनुसूचित जाति एवं कुल जनसंख्या का अवरोही क्रम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के साथ अंकित करना।

(ii) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमवाली 2006 के नियम 11 के उप नियम (1) के अनुसार भाग-3 में चक्रानुक्रम में कोटिवार क्षेत्रों का आरक्षण/आवंटन करना। जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ही क्षेत्र का आवंटन पूर्ण होगा।

(iii) आवंटन के समय वर्ष 2006 के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए बिहार पंचायत निर्वाचन नियमवाली के नियम 11 के उप नियम (3) की रीति का अनुसरण करना।

(iv) पिछड़ा वर्ग के आवंटन में नियमवाली के नियम 9 के उप नियम (3) का अनुसरण करना।

(6) सभी कोटि के लिए कोटिवार क्षेत्रों का आरक्षण/आवंटन पूर्ण करने के पश्चात महिला के लिए सीट का आरक्षण नियमावली के नियम-11 (3) एवं 14 के अनुसार किया जाना।

(7) प्रपत्र-2 के भाग-4 में सभी कोटि के लिए आवंटित आरक्षण को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अंकित करना।

(8) प्रपत्र-3 में उपर की विधि से आरक्षण अवधारण/आवंटन के पूर्ण कार्य के बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार/कोटिवार आवंटित आरक्षण को अंकित करना।

इस तरह आरक्षण का अवधारण एवं आवंटन का कार्य पूर्ण किया जाएगा।

स्थिति को स्पष्ट करने हेतु ग्राम पंचायत सदस्य/पंच/ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच/पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के पदों का आरक्षण/आवंटन करने हेतु निम्न उदाहरण दिये जा रहे हैं :-

उदाहरण-1

ग्राम पंचायत सदस्य पद का आरक्षण:

सर्वप्रथम प्रपत्र-2 भाग -1 में विभिन्न कोटि यथा अन्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना की जाय। ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पदों की संख्या कुल पदों की संख्या का उतना प्रतिशत होगी जितना कि उनकी जनसंख्या का प्रतिशत ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या में है। इस क्रम में अनुमान्य पदों की संख्या की गणना 0.5 या उससे अधिक रहने पर अगले पूर्णांक पर परिगणित की जायेगी। ग्राम पंचायत सदस्य के कुल पदों के 50 प्रतिशत की अधिसीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों सहित कुल पदों के 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जायेंगे। प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित पदों के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक पद संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षण प्रस्ताव तैयार करते समय प्रपत्र-2 भाग-दो एवं चार एवं प्रपत्र-3 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के निकट विगत वर्ष 2006 में कोटि विशेष के लिए आवंटित आरक्षण को अवश्य अंकित किया जाये।

संलग्न प्रपत्र-2 भाग-1 में अंकित जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर मधुबन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्य के कुल 14 स्थानों में से 3 स्थान अनुसूचित जाति के लिए तथा शून्य स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं। उक्त ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्य के कुल पदों/स्थानों का 50 प्रतिशत 7 होता है तथा कुल पद का 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक 2.8 अर्थात् 2 पद होता है, अतएव मधुबन ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग

के लिए मात्र दो पद ही आरक्षित होंगे। इस प्रकार उक्त ग्राम पंचायत में 14 पदों के विरुद्ध मात्र 5 पद ही आरक्षित होंगे एवं शेष 9 पद अनारक्षित रहेंगे।

प्रत्येक कोटि में 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने हैं। ग्राम पंचायत मधुबन में अनुसूचित जाति के 3 पद हैं, जिसका 50 प्रतिशत 1.5 होता है। अतएव ग्राम पंचायत मधुबन में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए मात्र एक पद आरक्षित होगा (क्योंकि 1.5 को 2 पद मानने से 50 प्रतिशत की अधिसीमा पार कर जायेगी)। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मधुबन में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित दो पदों का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात् एक पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मधुबन में अन्य कोटि के लिये शेष 9 पदों में पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद अर्थात् 4 पद अन्य कोटि की महिला के लिये आरक्षित किये जायेंगे।

आरक्षित स्थानों/पदों का आवंटन:- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 के आलोक में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चक्रानुक्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने में इसी क्रम की पुनरावृत्ति तब तक की जायेगी जब तक कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये अनुमान्य स्थानों/पदों का आवंटन पूर्ण नहीं होगा। नियम 11 के आलोक में पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षित स्थान/पद शेष निर्वाचन क्षेत्रों में से (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर) कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

उदाहरण स्वरूप, ग्राम पंचायत मधुबन के कुल 14 पदों में से 3 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा शेष 11 पद अन्य कोटि के लिए अनुमान्य हैं। कुल स्थानों का 50 प्रतिशत 7 है, अतएव 50 प्रतिशत से अनधिक पद की संख्या 7 ही होगी। कुल पद का 20 प्रतिशत 2.8 होता है, अतएव 50 प्रतिशत की अधिसीमा में रहते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों/पदों सहित पिछड़े वर्गों के लिये 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद 2 होंगे। प्रपत्र-2 भाग-3 में चक्रानुक्रम आवंटन के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-12, 14 एवं 6 अनुसूचित जाति को आवंटित किये गये हैं तथा शेष 11 स्थान अन्य कोटि के लिए बच जाते हैं जो उन निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के अवरोही क्रम में 2, 10, 7, 8, 3, 13, 5, 1, 4, 11 एवं 9 हैं। नियमावली के प्रावधानों के आलोक में पिछड़े वर्गों को उनकी अनुमान्य संख्या में, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0-9 एवं 13 आवंटित किये जायेंगे तथा शेष प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-2, 10, 7, 8, 3, 5, 1, 4 एवं 11 अन्य कोटि को आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 12, 14 एवं 6 में से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-12, अनुसूचित जाति महिला को आवंटित किया जायेगा क्योंकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में वह ऊपर है। उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्र संख्या-9 एवं 13 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-9 पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आवंटित होगा क्योंकि उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 से ऊपर है। उसी प्रकार अन्य कोटि के लिए शेष कुल 9 स्थानों में 50 प्रतिशत से अनधिक पदों की संख्या-4.5 अर्थात् 4 पद अन्य कोटि की महिला के लिए आरक्षित होंगे। अन्य की जनसंख्या के अवरोही क्रम में उपर आने वाले 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 2, 10, 7 एवं 8 हैं। किन्तु इनमें से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 7, एवं 8 गत निर्वाचन में अन्य कोटि महिला के लिए आरक्षित रहा है, इसलिए बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 (3) परन्तुक के आलोक में इस बार अन्य कोटि की महिला के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 7, एवं 8 आरक्षित नहीं होगा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-8 के बाद अवरोही क्रम में आने वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3, 13, 5, 14, 1, 4 जिसमें 13 पिछड़ा वर्ग के लिए एवं 14 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, में से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-2, 3, 5 एवं 1 अन्य कोटि की महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा।

उक्त आरक्षण/आवंटन प्रपत्र-2 के भाग 4 में कोटिवार दर्शाया जाएगा। तत्पश्चात ग्राम पंचायत मधुवन के आरक्षित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-3 में तैयार की जाएगी।

उदाहरण-2

ग्राम कचहरी पंच पद का आरक्षण:

सर्वप्रथम प्रपत्र-2 भाग -1 में विभिन्न कोटि यथा अनुसूचित जनजाति, अन्य, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होने वाले स्थानों की गणना की जाय। ग्राम कचहरी के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पदों की संख्या कुल पदों की संख्या का उतना प्रतिशत होगा जितना कि उनकी जनसंख्या का प्रतिशत यथास्थिति ग्राम कचहरी की कुल संख्या में है तथा इस क्रम में अनुमान्य पदों की संख्या की गणना 0.5 या उससे अधिक रहने पर अगले पूर्णांक पर परिगणित की जायेगी। ग्राम कचहरी के पंच के कुल पदों के 50 प्रतिशत की अधिसीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों सहित कुल पदों के 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जायेंगे। प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित पदों के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक पद संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षण प्रस्ताव तैयार करते समय प्रपत्र-2 भाग-दो एवं चार एवं प्रपत्र-3 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के निकट विगत वर्ष 2006 में कोटि विशेष के लिए आवंटित आरक्षण को अवश्य अंकित किया जाये।

संलग्न प्रपत्र-2 भाग-1 में अंकित जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर पिपरा बगाही ग्राम कचहरी के पंच के कुल 14 स्थानों में से 3 स्थान अनुसूचित जाति के लिए तथा शून्य स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं। पिपरा बगाही ग्राम कचहरी के कुल पदों/स्थानों का 50 प्रतिशत 7 होता है तथा कुल पद का 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक 2.8 अर्थात् 2 पद होता है, अतएव 50 प्रतिशत की अधिसीमा में पिपरा बगाही ग्राम कचहरी में पिछड़े वर्ग के लिए मात्र दो पद आरक्षित होंगे।

प्रत्येक कोटि में 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने हैं। ग्राम कचहरी पिपरा बगाही में अनुसूचित जाति के 3 पद हैं, जिसका 50 प्रतिशत 1.5 होता है। अतएव ग्राम कचहरी पिपरा बगाही में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए मात्र एक पद आरक्षित होगा (क्योंकि 1.5 को 2 पद मानने से 50 प्रतिशत की अधिसीमा पार कर जायेगी)। इसी प्रकार ग्राम कचहरी पिपरा बगाही में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित दो पदों का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात् एक पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगा। इसी प्रकार ग्राम कचहरी पिपरा बगाही में अन्य कोटि के लिये शेष 9 पदों में पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद अर्थात् 4 पद अन्य कोटि की महिला के लिये आरक्षित किये जायेंगे।

आरक्षित स्थानों/पदों का आवंटन:- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 के आलोक में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति के चक्रानुक्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने में इसी क्रम की पुनरावृत्ति तब तक की जायेगी जब तक कि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिये अनुमान्य स्थानों/पदों का आवंटन पूर्ण नहीं होगा। नियम 11 के आलोक में पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षित स्थान/पद शेष निर्वाचन क्षेत्रों में से (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर) कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

उदाहरण स्वरूप, ग्राम कचहरी पिपरा बगाही के कुल 14 पदों में से 3 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा शेष 11 पद अन्य कोटि के लिए अनुमान्य हैं। कुल स्थानों का 50 प्रतिशत 7 है, अतएव 50 प्रतिशत से अनधिक पद की संख्या 7 ही होगी। कुल पद का 20 प्रतिशत 2.8 होता है, अतएव 50 प्रतिशत की अधिसीमा में रहते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये

आरक्षित स्थानों/पदों सहित पिछड़े वर्गों के लिये 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद 2 होंगे। प्रपत्र-2 भाग-3 में चक्रानुक्रम आवंटन के सिद्धान्त का अनुसर्ण करते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-9, 12 एवं 6 अनुसूचित जाति को आवंटित किये गये हैं तथा शेष 11 स्थान अन्य कोटि के लिए बच जाते हैं जो उन निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के अवरोही क्रम में 1, 10, 7, 8, 3, 13, 5, 14, 2, 4 एवं 11 हैं। नियमावली के प्रावधानों के आलोक में पिछड़े वर्गों को उनकी अनुमान्य संख्या में, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोडकर कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सं0-13 एवं 14 आवंटित किये जायेंगे तथा शेष प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1, 10, 7, 8, 3, 5, 2, 4 एवं 11 अन्य कोटि को आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-9, 12 एवं 6 में से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-9, अनुसूचित जाति महिला को आवंटित किया जायेगा क्योंकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में वह ऊपर है। उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्र संख्या-13 एवं 14 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-13 पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आवंटित होगा क्योंकि उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से ऊपर है। उसी प्रकार अन्य कोटि के लिए शेष कुल 9 स्थानों में 50 प्रतिशत से अनधिक पदों की संख्या-4.5 अर्थात् 4 पद अन्य कोटि की महिला के लिए आरक्षित होंगे। अन्य की जनसंख्या के अवरोही क्रम में उपर आने वाले 4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 1, 10, 7 एवं 8 हैं। किन्तु इनमें से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 7, 8 एवं 5 गत निर्वाचन में अन्य कोटि महिला के लिए आरक्षित रहा है, इसलिए बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 (3) परन्तुक के आलोक में इस बार अन्य कोटि की महिला के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 7, 8, एवं 5 आरक्षित नहीं होगा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-8 के बाद अवरोही क्रम में आने वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3, 13, 5, 14, 2, 4 जिसमें 13 एवं 14 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 गत निर्वाचन में महिला हेतु आरक्षित था। अतएव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1, 3, 2 एवं 4 अन्य कोटि की महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा।

उक्त आरक्षण/आवंटन प्रपत्र-2 के भाग 4 में कोटिवार दर्शाया जाएगा। तत्पश्चात ग्राम कचहरी पीपरा बगाही के आरक्षित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-3 में तैयार की जाएगी।

उदाहरण-3

ग्राम पंचायत मुखिया के पदों का आरक्षण:-

सर्वप्रथम प्रपत्र - 2 भाग - 1 में ग्राम पंचायत मुखिया के अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, अन्य एवं पिछड़ा वर्गों के लिए अनुमान्य पदों की गणना की जायेगी। किसी पंचायत समिति (प्रखंड) में मुखिया पद के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पदों की संख्या कुल पदों की संख्या की उतना प्रतिशत होगी जितना कि उनकी जनसंख्या का प्रतिशत यथास्थिति पंचायत समिति (प्रखंड) की कुल जनसंख्या में है तथा इस क्रम में अनुमान्य पदों की संख्या की गणना में 0.5 या उससे अधिक रहने पर अगले पूर्णांक पर परिगणित की जायेगी। पंचायत समिति (प्रखंड) में मुखिया के कुल पदों के 50 प्रतिशत की अधिसीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों सहित कुल पदों के 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जायेंगे। प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित पदों के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक पद संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

ग्राम पंचायत के मुखिया के पदों का विभिन्न कोटि के लिए आवंटन:-
आरक्षित स्थानों/पदों का आवंटन:- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 के आलोक में विभिन्न कोटियों को अनुमान्य आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन हेतु अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चक्रानुक्रम में निर्वाचन क्षेत्र आवंटन किये जायेंगे तथा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित करने में इसी क्रम की पुनरावृत्ति तब तक की जायेगी जब तक कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये अनुमान्य स्थानों/पदों का आवंटन पूर्ण नहीं होगा। नियम 11 के आलोक में पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य आरक्षित स्थान/पद शेष निर्वाचन क्षेत्रों में से (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर) कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

पंचायत समिति (प्रखंड) के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ग्राम पंचायतों की अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को प्रपत्र 2 भाग-2 में ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रवार अंकित किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षण प्रस्ताव तैयार करते समय प्रपत्र-2 भाग-दो एवं चार एवं प्रपत्र-3 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के निकट विगत वर्ष 2006 में कोटि विशेष के लिए आवंटित आरक्षण को अवश्य अंकित किया जाये।

इसके बाद अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं कुल जनसंख्या को अवरोही क्रम में प्रपत्र-2 भाग-3 में अंकित किया जायेगा।

हसनपुर प्रखंड के अन्तर्गत कुल 19 ग्राम पंचायत में 4 पद अनुसूचित जाति, शून्य पद अनुसूचित जनजाति, 3 पद पिछड़ा वर्ग एवं 12 पद अन्य कोटि के लिए अनुमान्य हैं। प्रपत्र-2 भाग-3 में विभिन्न कोटि को चक्रानुक्रम में आवंटन करने पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 18, 13 एवं 6 अनुसूचित जाति को आवंटित होंगे, शेष निर्वाचन क्षेत्रों में से उनकी कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में ऊपर आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से पिछड़े वर्गों के लिए 3 पद अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र संख्या-8, 1

एवं 2 पिछड़े वर्गों के लिए आवंटित किये जायेंगे, तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-11, 7, 15, 17, 9, 4, 14, 16, 3, 5, 19 एवं 12 अन्य कोटि के लिये आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 4 का यथाशक्य 50 प्रतिशत के निकटतम किन्तु उससे अनधिक अर्थात् 2 पद अनुसूचित जाति महिला के आरक्षित किया जायेगा। इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में ऊपर आनेवाले निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 एवं 18 अनुसूचित जाति महिला के लिए आवंटित किए जायेंगे।

इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 3 का यथाशक्य 50 प्रतिशत के निकटतम किन्तु उससे अनधिक अर्थात् एक पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा एवं इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में उन निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में ऊपर आने वाला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आवंटित किया जायेगा।

इसी प्रकार अन्य कोटि के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 12 का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात् 6 पद अन्य कोटि महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा एवं इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में अन्य की जनसंख्या के अवरोही क्रम में ऊपर आने वाले निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11, 7, 9, 4, 14 एवं 16 अन्य कोटि महिला के लिए आवंटित किए जायेंगे।

उक्त आरक्षण/आवंटन प्रपत्र-2 के भाग 4 में कोटिवार दर्शाया जाएगा। तत्पश्चात प्रखंड हसनपुर में मुखिया पद के लिए आरक्षित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों (ग्राम पंचायतों) की सूची प्रपत्र-3 में तैयार की जाएगी।

ऊपर कंडिका में बतलाई गई प्रक्रिया के ही अनुसार पंचायत समिति के सदस्य पद का आरक्षण एवं आवंटन अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चक्रानुक्रम में किया जाएगा। तत्पश्चात शेष निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को पिछड़े वर्ग के लिए उन्हें अनुमान्य संख्या में आवंटित किया जायेगा तथा संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षण/आवंटन किया जायेगा।

उदाहरण-4

ग्राम कचहरी सरपंच के पदों का आरक्षण:-

सर्वप्रथम प्रपत्र-2 भाग-1 में ग्राम कचहरी सरपंच के अनुसूचित जनजाति, अन्य, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए अनुमान्य पदों की गणना की जायेगी। किसी पंचायत समिति (प्रखंड) में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के पदों की संख्या कुल पदों की संख्या की उतना प्रतिशत होगी जितना कि उनकी जनसंख्या का प्रतिशत यथास्थिति

पंचायत समिति (प्रखंड) की कुल जनसंख्या में है तथा इस क्रम में अनुमान्य पदों की संख्या की गणना में 0.5 या उससे अधिक रहने पर अगले पूर्णांक पर परिगणित की जायेगी। पंचायत समिति (प्रखंड) में सरपंच के कुल पदों के 50 प्रतिशत की अधिसीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों सहित कुल पदों के 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जायेंगे। प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित पदों के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक पद संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों का विभिन्न कोटि के लिए आवंटन:- बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 11 के आलोक में पहले अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति के लिये अनुमान्य संख्या में पदों के आवंटन हेतु सरपंच के पदों के निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन अनुसूचित जनजाति, अन्य, अनुसूचित जाति के क्रम में किया जायेगा।

पंचायत समिति (प्रखंड) के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ग्राम पंचायतों की अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या को प्रपत्र 2 भाग-2 में ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रवार अंकित किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आरक्षण प्रस्ताव तैयार करते समय प्रपत्र-2 भाग-दो एवं चार एवं प्रपत्र-3 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या के निकट विगत वर्ष 2006 में कोटि विशेष के लिए आवंटित आरक्षण को अवश्य अंकित किया जाये।

इसके बाद अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं अनुसूचित जाति एवं कुल जनसंख्या को अवरोही क्रम में प्रपत्र-2 भाग-3 में अंकित किया जायेगा। तदनुसार, अनुसूचित जनजाति, अन्य, अनुसूचित जाति के क्रम में प्रत्येक कोटि के लिए एक-एक पद आवंटित किये जायेंगे, तथा इस क्रम की पुनरावृत्ति तब तक की जायेगी जब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कोटि को अनुमान्य पदों की संख्या आवंटित न हो जाये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के पश्चात शेष निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को पिछड़े वर्ग के लिए उन्हें अनुमान्य संख्या में आवंटित किया जायेगा।

खानपुर प्रखंड के अन्तर्गत कुल 19 ग्राम कचहरी में सरपंच के 4 पद अनुसूचित जाति, शून्य पद अनुसूचित जनजाति, 3 पद पिछड़ा वर्ग एवं 12 पद अन्य कोटि के लिए अनुमान्य हैं। प्रपत्र-2 भाग-3 में विभिन्न कोटि को चक्रानुक्रम में आवंटन करने पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1, 6, 11 एवं 3 अनुसूचित जाति को आवंटित होते हैं। शेष निर्वाचन क्षेत्रों में से उनकी कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में ऊपर आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से पिछड़े वर्गों के लिए 3 पद अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र संख्या-10, 13 एवं 18 आवंटित किये जायेंगे, तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-8, 2, 7, 15, 17, 9, 4, 14, 16, 5, 19 एवं 12 अन्य कोटि के लिये आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 4 का यथाशक्य 50 प्रतिशत के निकटतम किन्तु उससे अनधिक अर्थात् 2 पद अनुसूचित जाति महिला के आरक्षित किया जायेगा। इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में ऊपर आनेवाले निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 एवं 6 अनुसूचित जाति महिला के लिए आवंटित किए जायेंगे।

इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 3 का यथाशक्य 50 प्रतिशत के निकटतम किन्तु उससे अनधिक अर्थात् एक पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा एवं इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में उन निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में ऊपर आने वाला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आवंटित किया जायेगा।

इसी प्रकार अन्य कोटि के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 12 का 50 प्रतिशत से अनधिक अर्थात् 6 पद अन्य कोटि महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा एवं इस निमित्त प्रपत्र-2 भाग-3 में अन्य की जनसंख्या के अवरोही क्रम में ऊपर आने वाले निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8, 2, 7, 14, 16 एवं 5 अन्य कोटि महिला के लिए आवंटित किए जायेंगे।

उदाहरण-5

प्रमुख एवं जिला परिषद के सदस्य पद का आरक्षण:

जिला अन्तर्गत (जिला स्तर से) प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य के पदों का अन्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षण/आवंटन किया जायेगा।

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 11 के आलोक में पहले अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये अनुमान्य संख्या में पदों के आवंटन हेतु प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य के पदों के निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रम में किया जायेगा।

जिला परिषद सदस्य पद हेतु आरक्षण :-

जिला परिषद (जिला स्तर) के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को प्रपत्र 2 भाग-2 में जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रवार अंकित किया जायेगा। इसके बाद अन्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या को अवरोही क्रम में प्रपत्र-2 भाग-3 में अंकित किया जायेगा। तदनुसार, अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रम में प्रत्येक कोटि के लिए एक-एक पद आवंटित किये जायेंगे, बशर्ते उन्हें पद प्राप्त हो रहा हो तथा इस क्रम की पुनरावृत्ति तब तक की जायेगी जब तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की कोटि को अनुमान्य पदों की संख्या आवंटित न हो जाये।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के पश्चात शेष निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों को पिछड़े वर्ग के लिए उन्हें अनुमान्य संख्या में आवंटित किया जायेगा।

संलग्न प्रपत्र -2 भाग 1 में अंकित जनसंख्या के आँकड़ों के अनुसार गया जिलान्तर्गत जिला परिषद सदस्य के कुल 46 स्थानों में से 15 पद अनुसूचित जाति के लिए तथा शून्य पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं। गया जिला परिषद के कुल पदों/स्थानों का 50 प्रतिशत 23 होता है तथा 20 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक 9.2 अर्थात् 9 पद होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कुल पदों का पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर ही होनी है, अतएव इस स्थिति में गया जिला अन्तर्गत जिला परिषद के सदस्यों में पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 8 (23-15) पद ही आरक्षित होंगे।

प्रपत्र-2 भाग-3 में चक्रानुक्रम आवंटन के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37, 43, 44, 26, 29, 30, 24, 36, 34, 40, 20, 32, 17, 39, एवं 38 अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित होंगे जिसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37, 43, 44, 26, 29, 30 एवं 24 अनुसूचित जाति की महिला हेतु आरक्षित रहेंगे।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आलोक में पिछड़े वर्गों को उनकी अनुमान्य संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर कुल जनसंख्या (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य की जनसंख्या सहित) के अवरोही क्रम में पहले आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23, 11, 13, 19, 9, 25, 10 एवं 12 आवंटित किये जायेंगे। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व के उदाहरणों में बताए गए तरीके से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन किया जाएगा। अनारक्षित महिला हेतु अन्य के कुल 23 पद में से 11 पद (अन्य की जनसंख्या में से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 33, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 41, 8, 35 एवं 18 अनारक्षित महिला हेतु आरक्षित होंगे। उक्त आरक्षण/आवंटन प्रपत्र-2 के भाग 4 में कोटिवार दर्शाया जाएगा। तत्पश्चात जिला परिषद गया के सदस्य पद हेतु आरक्षित किए गए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-3 में तैयार की जाएगी।

रूपर कंडिका में बतलाई गई प्रक्रिया के ही अनुसार प्रमुख पद का आरक्षण एवं आवंटन अन्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चक्रानुक्रम में किया जाएगा। तत्पश्चात शेष निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों (पंचायत समिति क्षेत्र) को पिछड़े वर्ग के लिए उन्हें अनुमान्य संख्या में आवंटित किया जायेगा तथा संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए नियमावली के प्रावधानों के आलोक में आरक्षण/आवंटन किया जायेगा।

16. स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए कुल मिलाकर आरक्षण की सीमा कुल पदों के पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अधीन होगी, उससे अधिक नहीं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बाद कुल पदों के अधिकतम बीस प्रतिशत तक स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जायेंगे। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों के चालीस प्रतिशत तक हो जाती है, तब वैसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत की अधिसीमा के अधीन अधिकतम दस प्रतिशत तक ही रखी जा सकेगी, न कि बीस प्रतिशत अथवा अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या कुल पदों के पचास प्रतिशत तक हो जाती है, तो वैसी स्थिति में पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जा सकेगा।

17. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी के पंच/सरपंच एवं पंचायत समिति के प्रमुख के पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कोटि की महिलाओं के लिए अनुमान्य आरक्षण का प्रस्ताव आयोग के अनुमोदन हेतु उदाहरण में दिए गए प्रपत्र में संलग्न कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकृत पदाधिकारियों के माध्यम से भेजा जाय, जो आयोग द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण करने में समर्थ हों। अच्छा होगा इस कार्य के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी अथवा प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को ही आपके द्वारा प्राधिकृत करते हुए प्रतिनियुक्त किया जाये ताकि वे पदाधिकारी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण प्रस्ताव के अनुमोदन में समुचित सहयोग प्रदान कर सकें। जिलों से भेजे जाने वाले आरक्षण प्रस्ताव पर जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

वर्ष 2006 के पंचायत निर्वाचन के समय आयोग द्वारा अनुमोदित आरक्षण प्रपत्र-3 भी जिला पंचायत राज पदाधिकारी अपने साथ लायेंगे।

18. नियमावली के प्रपत्र-2 के भाग-दो के स्तम्भ 5 एवं भाग तीन के स्तम्भ 6 में क्रमशः पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या एवं 'अवरोही क्रम में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या' का उल्लेख है, जिसे वर्तमान पंचायत निर्वाचन, 2016 के परिप्रेक्ष्य में भी नजरअंदाज कर दिया जाय, क्योंकि तत्काल पिछड़े वर्ग की कोई जनसंख्या उपलब्ध नहीं है।

19. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के आरक्षित/अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 11 के अन्तर्गत प्रपत्र - 3 में ग्राम पंचायत/ प्रखंड/ अनुमंडल एवं जिला दंडाधिकारी के

कार्यालय में आयोग द्वारा दिये गये अनुमोदन के तीन दिनों के अन्दर प्रकाशित की जायेगी ताकि सभी इससे अवगत हो जायें और इसकी सूचना आयोग को भी फैंक्स द्वारा दी जाए। साथ ही जिला गजट में भी आरक्षित/अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना प्रकाशित कर दी जाय।

20. पंचायत निर्वाचन कार्य की महत्ता के दृष्टिगत आरक्षण प्रस्ताव जिला स्तर पर कैम्प कराकर वरीय पदाधिकारियों की देख-रेख में समन्वित रूप से तैयार कराये जायें ताकि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी बिना किसी दबाव के सही आरक्षण प्रस्ताव ससमय तैयार कर सकें, एवं आयोग स्तर पर जाँच के क्रम में त्रुटियाँ पाये जाने की संभावना कमतर हो। आरक्षण प्रस्ताव तैयार करने के क्रम में यदि किसी पदाधिकारी के द्वारा किसी बाह्य दबाव में आकर गलत आरक्षण प्रस्ताव तैयार किया जाता है और आयोग स्तर पर जाँच के क्रम में उक्त त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो आयोग द्वारा सलिप्त पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

कृपया इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाये तथा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Durgesh Nandan
सचिव। 17/12

ज्ञापांक-पं.नि.-30-25/2015-2144

पटना, दिनांक 17.12.2015

प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (पंचायत) को समय-सीमा के अन्दर कार्य सम्पादित करने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा करेंगे।

Durgesh Nandan
सचिव। 17/12

ज्ञापांक-पं.नि.-30-25/2015-2144

पटना, दिनांक 17.12.2015

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Durgesh Nandan
सचिव। 17/12

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षण प्रस्तावों
का अनुमोदन कार्यक्रम

तिथि	जिला का नाम
04.01.2016	— शिवहर एवं अरवल
05.01.2016	— खगड़िया एवं लखीसराय
06.01.2016	— जमुई एवं शेखपुरा
07.01.2016	— गोपालगंज एवं मुंगेर
08.01.2016	— भागलपुर एवं बाँका
09.01.2016	— जहानाबाद एवं बक्सर
11.01.2016	— सुपौल एवं औरंगाबाद
12.01.2016	— अररिया एवं सिवान
13.01.2016	— गया एवं नवादा
15.01.2016	— मधुबनी एवं दरभंगा
18.01.2016	— बेगुसराय एवं कटिहार
19.01.2016	— पूर्वी चम्पारण
20.01.2016	— भोजपूर एवं कैमूर
21.01.2016	— रोहतास एवं नालंदा
22.01.2016	— सीतामढ़ी एवं पटना
23.01.2016	— मधेपुरा एवं सहरसा
25.01.2016	— किशनगंज एवं पूर्णियाँ
27.01.2016	— मुजफ्फरपुर एवं वैशाली
28.01.2016	— समस्तीपुर एवं सारण
29.01.2016	— पश्चिमी चम्पारण

other.

(नियम 15 देखिये)

(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला -

प्रखंड -

प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (सदस्य पद हेतु)

राज्य - बिहार
जिला परिषद -
पंचायत समिति -
ग्राम पंचायत - मधुवन

ग्राम पंचायत मधुवन की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल	कुल पद				
6844	2274	0	9118	14	3	0	2	9

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

(1) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{0}{9118} \times 14 = 0.00 = 0 \text{ पद}$$

(2) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{2274}{9118} \times 14 = 3.49 = 3 \text{ पद}$$

(3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 14

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 7

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद $14 \times 1/5 = 2.8 = 2$ पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 3

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या - 2

(4) अनारक्षित पदों की संख्या - $14 - (3+2) = 9$ पद

अनुसूची
प्रपत्र - 2, भाग - दो

ग्राम पंचायत मधुवन का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -1 (BC)*	490	114	0	604
2	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -2	586	108	0	694
3	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -3	518	92	0	610
4	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -4 (SC)*	488	144	0	632
5	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -5	500	105	0	605
6	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -6 (W)*	460	128	0	588
7	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -7 (W)*	530	82	0	612
8	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -8 (W)*	526	78	0	604
9	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -9 (SC)*	414	364	0	778
10	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -10 (W)*	564	110	0	674
11	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -11	480	112	0	592
12	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -12	286	316	0	602
13	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -13 (SCW)*	504	268	0	772
14	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/ प्रा0 नि0 क्षे0 -14 (BCW)*	498	253	0	751
		6844	2274	0	9118

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

* वर्ष 2006 के निर्वाचन में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

प्रपत्र - 2, भाग - तीन

ग्राम पंचायत मधुवन का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में

क्रमांक	अवरोही क्रम में अन्य की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.ज.जा. की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	586	✓ 2 ✓	364	9 X	0	1	778	9 ✓
2	564	X 10 ✓	316	12 ✓	0	2	772	13 ✓
3	530	X 7 ✓	268	13 X	0	3	751	14 X
4	526	X 8	253	14 ✓	0	4	694	2
5	518	✓ 3	144	4 X	0	5	674	10
6	504	X 13	128	6 ✓	0	6	632	4
7	500	✓ 5	114	1	0	7	612	7
8	498	X 14	112	11	0	8	610	3
9	490	✓ 1	110	10	0	9	605	5
10	488	4	108	2	0	10	604	1 X
11	480	11	105	5	0	11	604	8
12	460	X 6	92	3	0	12	602	12
13	414	9	82	7	0	13	592	11
14	286	12	78	8	0	14	588	6

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

नोट : अनुसूचित जाति के लिए 3 पद अनुमान्य हैं अतएव तीन चक्रानुक्रम चलेगा।

प्रथम चक्र - अन्य की जनसंख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 सबसे ऊपर है जिससे अन्य के खाते में प्र.नि.क्षे. संख्या 2 आवंटित किया गया है। तत्पश्चात अनुसूचित जाति की जनसंख्या में प्रा.नि.क्षे. संख्या 9 सबसे ऊपर है परन्तु प्रा.नि.क्षे.संख्या 9 गत निर्वाचन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था जिससे प्रा.नि.क्षे.संख्या 9 के नीचे प्रा.नि.क्षे. संख्या 12 है अतएव अनुसूचित जाति के खाते में प्रा. नि. क्षे. संख्या 12 आवंटित किया गया है।

द्वितीय चक्र - अन्य की जनसंख्या में प्रा.नि.क्षे. संख्या 2 के बाद 10 है अतएव अन्य के खाते में प्रा.नि.क्षे. संख्या 10 आवंटित किया गया है। तत्पश्चात अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 है परन्तु प्रा.नि.क्षे.संख्या 13 गत निर्वाचन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था जिससे प्रा.नि.क्षे.संख्या 13 के नीचे प्रा.नि.क्षे. संख्या 14 है अतएव अनुसूचित जाति के खाते में प्रा. नि. क्षे. संख्या 14 आवंटित किया गया है।

तृतीय चक्र - अन्य की जनसंख्या में प्रा.नि.क्षे. संख्या 10 के बाद 7 है जिससे अन्य के खाते में प्रा.नि.क्षे. संख्या 7 आवंटित किया गया है। तत्पश्चात अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 14 के बाद प्रा.नि.क्षे. संख्या 4 है जो गत निर्वाचन में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था जिससे प्रा.नि.क्षे. संख्या 4 के नीचे प्रा.नि.क्षे. संख्या 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।

इस प्रकार अनुसूचित जाति के लिए अनुमान्य तीन पद प्रा.नि.क्षे. संख्या 12, 14 एवं 6 आरक्षित होगा। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे ऊपर प्रा.नि.क्षे. संख्या 12 रहने के कारण प्रा.नि.क्षे. संख्या 12 अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होगा।

अनुसूचित जाति के लिए अनुमान्य तीन पद आरक्षित करने के बाद पिछड़े वर्ग के लिए अनुमान्य 2 (दो) पद का आरक्षण किया जाना है। अतएव पिछड़े वर्ग के लिए कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे ऊपर से आने वाले प्रा.नि.क्षे. संख्या 9 एवं 13 है। अतएव प्रा.नि.क्षे. संख्या 9 एवं 13 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगा तथा जिसमें अवरोही क्रम में ऊपर रहने वाले प्रा.नि.क्षे. संख्या 9 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित होगा।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के अनुमान्य पदों के आरक्षण/आवंटन के पश्चात अनारक्षित महिला के लिए शेष बचे पदों का यथाशक्य 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। अतएव अनारक्षित महिला के लिए अन्य की जनसंख्या के अवरोही क्रम में से प्रा.नि.क्षे. संख्या 2, 3, 5 एवं 1 आरक्षित किये गये हैं।

उक्त आरक्षण/आवंटन को प्रपत्र-2 के भाग-4 में दर्शाया गया। तत्पश्चात मधुवन के आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची प्रपत्र-3 में तैयार किया गया है।

प्रपत्र - 2, भाग - चार (सदस्य पद के लिए)

ग्राम पंचायत मधुवन के सदस्य के पदों के लिए आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अन्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	महिला							
2	2	महिला							
3	3	महिला							
4	4		अन्य						
5	5	महिला							
6	6				अन्य				
7	7		अन्य						
8	8		अन्य						
9	9							महिला	
10	10		अन्य						
11	11		अन्य						
12	12			महिला					
13	13								अन्य
14	14				अन्य				

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

अनुसूची
प्रपत्र - 3

ग्राम पंचायत मधुवन के आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (सदस्य पद हेतु)

राज्य - बिहार
जिला परिषद -
पंचायत समिति -
ग्राम पंचायत - मधुवन

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/ अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/ अन्य
1	2	3	4
1	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -1 (BC)	अनारक्षित	महिला
2	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -2	अनारक्षित	महिला
3	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -3	अनारक्षित	महिला
4	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -4 (SC)	अनारक्षित	अन्य
5	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -5	अनारक्षित	महिला
6	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -6 (W)	अनुसूचित जाति	अन्य
7	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -7 (W)	अनारक्षित	अन्य
8	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -8 (W)	अनारक्षित	अन्य
9	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -9 (SC)	पिछड़ा वर्ग	महिला
10	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -10 (W)	अनारक्षित	अन्य
11	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -11	अनारक्षित	अन्य
12	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -12	अनुसूचित जाति	महिला
13	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -13 (SCW)	पिछड़ा वर्ग	अन्य
14	प.चम्पारण/11 -मधुवन पंचायत/प्रा0 नि0 क्षेत्र -14 (BCW)	अनुसूचित जाति	अन्य

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

(नियम 15 देखिये)
(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला -

प्रखंड -

प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (पंच पद हेतु)

राज्य - बिहार
जिला परिषद -
पंचायत समिति -
ग्राम कचहरी - पिपरा बगाही

ग्राम पंचायत पिपरा बगाही की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित जन जाति	अन्य	अनुसूचित जाति	कुल	कुल पद				
0	6844	2274	9118	14	3	0	2	9

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

(1) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{0}{9118} \times 14 = 0.00 = 0 \text{ पद}$$

(2) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{2274}{9118} \times 14 = 3.49 = 3 \text{ पद}$$

(3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 14

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 7

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद $14 \times 1/5 = 2.8 = 2$ पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 3

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या - 2

(4) अनारक्षित पदों की संख्या - $14 - (3+2) = 9$ पद

अनुसूची
प्रपत्र - 2, भाग - दो

ग्राम कचहरी पिपरा बगाही का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -1 (BC)*	0	586	108	694
2	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -2	0	490	114	604
3	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -3	0	518	92	610
4	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -4 (SC)*	0	488	144	632
5	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -5 (W)*	0	500	105	605
6	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -6	0	460	128	588
7	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -7 (W)*	0	530	82	612
8	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -8 (W)*	0	526	78	604
9	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -9 (BCW)*	0	414	364	778
10	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -10 (W)*	0	564	110	674
11	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -11	0	480	112	592
12	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -12	0	286	316	602
13	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -13 (SCW)*	0	504	268	772
14	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा० नि० क्षेत्र -14 (SC)*	0	498	253	751
			6844	2274	9118

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

* वर्ष 2006 के निर्वाचन में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

प्रपत्र - 2, भाग - तीन

ग्राम कचहरी पिपरा बगाही का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में

क्रमांक	अवरोही क्रम में अ.जा.की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	586	1 ✓	364	9 ✓	778	9 X
2	0	0	564	10 ✓	316	12 ✓	772	13 ✓
3	0	0	530	7 ✓	268	13 X	751	14 ✓
4	0	0	526	8	253	14 X	694	1
5	0	0	518	3	144	4 X	674	10
6	0	0	504	13	128	6 ✓	632	4
7	0	0	500	5	114	2	612	7
8	0	0	498	14	112	11	610	3
9	0	0	490	2	110	10	605	5
10	0	0	488	4	108	1	604	2
11	0	0	480	11	105	5	604	8
12	0	0	460	6	92	3	602	12
13	0	0	414	9	82	7	592	11
14	0	0	286	12	78	8	588	6

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

नोट : अनुसूचित जाति के लिए 3 पद अनुमान्य हैं अतएव तीन चक्रानुक्रम चलेगा।

प्रथम चक्र - अन्य की जनसंख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 सबसे ऊपर है जिससे अन्य के खाते में प्र.नि.क्षे. संख्या 1 आवंटित किया गया है। तत्पश्चात अनुसूचित जाति की जनसंख्या में प्रा.नि.क्षे. संख्या 9 सबसे ऊपर है जिससे अनुसूचित जाति के खाते में प्रा. नि. क्षे. संख्या 9 आवंटित किया गया है।

द्वितीय चक्र - अन्य की जनसंख्या में प्रा.नि.क्षे. संख्या 1 के बाद 10 है अतएव अन्य के खाते में प्रा.नि.क्षे. संख्या 10 आवंटित किया गया है। तत्पश्चात अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 के बाद 12 है जिससे अनुसूचित जाति के खाते में प्रा.नि.क्षे. संख्या 12 आवंटित किया गया है।

तृतीय चक्र - अन्य की जनसंख्या में प्रा.नि.क्षे. संख्या 10 के बाद 7 है जिससे अन्य के खाते में प्रा.नि.क्षे. संख्या 7 आवंटित किया गया है। तत्पश्चात अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 12 के बाद प्रा.नि.क्षे. संख्या 13, 14 एवं 4 जो गत निर्वाचन (वर्ष 2006) में अनुसूचित जाति के लिए आवंटित/ आरक्षित थे इसलिए 4 के बाद प्रा.नि.क्षे. संख्या 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।

इस प्रकार अनुसूचित जाति के लिए अनुमान्य तीन पद प्रा.नि.क्षे. संख्या 9, 12 एवं 6 आरक्षित होगा। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे ऊपर प्रा.नि.क्षे. संख्या 9 रहने के कारण प्रा.नि.क्षे. संख्या 9 अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होगी।

अनुसूचित जाति के लिए अनुमान्य तीन पद आरक्षित करने के बाद पिछड़े वर्ग के लिए अनुमान्य 2 (दो) पद का आरक्षण किया जाना है। अतएव पिछड़े वर्ग के लिए कुल जनसंख्या के अवरोही क्रम में सबसे ऊपर से आने वाले प्रा.नि.क्षे. संख्या 9 गत निर्वाचन (वर्ष 2006) में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे अतएव प्रा.नि.क्षे. संख्या 9 के बाद 13 एवं 14 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगा तथा जिसमें अवरोही क्रम में ऊपर रहने वाले प्रा.नि.क्षे. संख्या 13 पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित होगा।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के अनुमान्य पदों के आरक्षण/ आवंटन के पश्चात अनारक्षित महिला के लिए शेष बचे पदों का यथाशक्य 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। अतएव अनारक्षित महिला के लिए अन्य की जनसंख्या के अवरोही क्रम में से प्रा.नि.क्षे. संख्या 1, 3, 2 एवं 4 आरक्षित किये गये हैं।

उक्त आरक्षण/आवंटन को प्रपत्र-2 के भाग-4 में दर्शाया गया।

प्रपत्र - 2, भाग - चार (पंच पद के लिए)

ग्राम कचहरी पिपरा बगाही के सदस्य के पदों के लिए आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जन जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य		अनुसूचित जाति	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					महिला			
2	2					महिला			
3	3					महिला			
4	4					महिला			
5	5						अन्य		
6	6								अन्य
7	7						अन्य		
8	8						अन्य		
9	9							महिला	
10	10						अन्य		
11	11						अन्य		
12	12								अन्य
13	13			महिला					
14	14				अन्य				

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

**अनुसूची
प्रपत्र - 3**

ग्राम कचहरी पिपरा बगाही के आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (पंच पद हेतु)

राज्य - बिहार
जिला परिषद -
पंचायत समिति -
ग्राम कचहरी - पिपरा बगाही

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2	3	4
1	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -1 (BC)	अनारक्षित	महिला
2	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -2	अनारक्षित	महिला
3	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -3	अनारक्षित	महिला
4	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -4 (SC)	अनारक्षित	महिला
5	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -5 (W)	अनारक्षित	अन्य
6	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -6	अनुसूचित जाति	अन्य
7	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -7 (W)	अनारक्षित	अन्य
8	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -8 (W)	अनारक्षित	अन्य
9	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -9 (BCW)	अनुसूचित जाति	महिला
10	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -10 (W)	अनारक्षित	अन्य
11	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -11	अनारक्षित	अन्य
12	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -12	अनुसूचित जाति	अन्य
13	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -13 (SCW)	पिछडा वर्ग	महिला
14	औरंगाबाद/14 -पिपरा बगाही पंचायत/प्रा0 नि0 क्षे0 -14 (SC)	पिछडा वर्ग	अन्य

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

(नियम 15 देखिये)
(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला -

प्रखंड -

प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (मुखिया पद हेतु)

राज्य - बिहार
जिला - समस्तीपुर
प्रखंड - हसनपुर

हसनपुर प्रखंड की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल	कुल पद (कुल पंचायत)				
122033	29368	11	151412	19	4	0	3	12

ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी अपर समाहर्ता जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

(1) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{11}{151412} \times 19 = 0.00 = 0 \text{ पद}$$

(2) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{29368}{151412} \times 19 = 3.69 = 4 \text{ पद}$$

(3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 19

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 9

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद $19 \times 1/5 = 3.8 = 3$ पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 4

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या - 3

(4) अनारक्षित पदों की संख्या - $19 - (4+3) = 12$ पद

अनुसूची
प्रपत्र - 2, भाग - दो

प्रखंड हसनपुर के पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या (मुखिया पद हेतु)

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	समस्तीपुर/ हसनपुर/ परोरिया का निर्वाचन क्षेत्र - 1	7788	2318	0	10106
2	समस्तीपुर/ हसनपुर/ मंगलगढ़ का निर्वाचन क्षेत्र - 2 (W)*	7980	1363	0	9343
3	समस्तीपुर/ हसनपुर/ नयानगर का निर्वाचन क्षेत्र - 3	5304	1474	0	6778
4	समस्तीपुर/ हसनपुर/ डेयोढ़ा का निर्वाचन क्षेत्र - 4 (SC)*	5889	1374	3	7266
5	समस्तीपुर/ हसनपुर/ दुधपुरा का निर्वाचन क्षेत्र - 5 (W)*	5084	1142	0	6226
6	समस्तीपुर/ हसनपुर/ फुलहारा का निर्वाचन क्षेत्र - 6 (W)*	6515	1594	0	8109
7	समस्तीपुर/ हसनपुर/ देवरा का निर्वाचन क्षेत्र - 7 (SC)*	6628	1998	0	8626
8	समस्तीपुर/ हसनपुर/ औरा का निर्वाचन क्षेत्र - 8	9631	2147	0	11778
9	समस्तीपुर/ हसनपुर/ नकुनी का निर्वाचन क्षेत्र - 9	5927	1140	0	7067
10	समस्तीपुर/ हसनपुर/ भतवन का निर्वाचन क्षेत्र - 10 (W)*	7580	2404	0	9984
11	समस्तीपुर/ हसनपुर/ परिदह का निर्वाचन क्षेत्र - 11 (SCW)*	7220	1571	0	8791
12	समस्तीपुर/ हसनपुर/ हसनपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 12	4335	875	0	5210
13	समस्तीपुर/ हसनपुर/ मरांची ऊजागर का निर्वाचन क्षेत्र - 13 (BC)*	7266	2026	0	9292
14	समस्तीपुर/ हसनपुर/ सकरपुरा का निर्वाचन क्षेत्र - 14	5662	1137	0	6799
15	समस्तीपुर/ हसनपुर/ रामपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 15 (W)*	6576	999	0	7575
16	समस्तीपुर/ हसनपुर/ बड़गाँव का निर्वाचन क्षेत्र - 16 (BC)*	5410	845	8	6263
17	समस्तीपुर/ हसनपुर/ शासन का निर्वाचन क्षेत्र - 17 (W)*	6252	987	0	7239
18	समस्तीपुर/ हसनपुर/ अहिलवार का निर्वाचन क्षेत्र - 18 (BCW)*	6540	2396	0	8936
19	समस्तीपुर/ हसनपुर/ मौजी का निर्वाचन क्षेत्र - 19 (SCW)*	4726	1308	0	6034
		122033	29368	11	151412

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

* वर्ष 2006 के निर्वाचन में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

प्रपत्र - 2, भाग - तीन

प्रखंड हसनपुर के पंचायतों की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में (मुखिया पद हेतु)

क्रमांक	अवरोही क्रम में अन्य की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9631	X 8 ✓	2404	10 ✓	8	16	11778	8 ✓
2	7980	X 2 ✓	2396	18 ✓	3	4	10106	1 ✓
3	7788	X 1 ✓	2318	1 X			9984	10 X
4	7580	X 10 X	2147	8 X			9343	2 ✓
5	7266	X 13 X	2026	13 ✓			9292	13 X
6	7220	✓ 11 ✓	1998	7 X			8936	18 X
7	6628	✓ 7	1594	6 ✓			8791	11
8	6576	X 15	1571	11 X			8626	7
9	6540	X 18	1474	3 X			8109	6
10	6515	X 6	1374	4 X			7575	15
11	6252	X 17	1363	2			7266	4
12	5927	✓ 9	1308	19 X			7239	17
13	5889	✓ 4	1142	5			7067	9
14	5662	✓ 14	1140	9			6799	14
15	5410	✓ 16	1137	14			6778	3
16	5304	3	999	15			6263	16 X
17	5084	5	987	17			6226	5
18	4726	19	875	18			6034	19
19	4335	12	845	16			5210	12

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

प्रपत्र - 2, भाग - चार (मुखिया पद के लिए)

प्रखंड हसनपुर के ग्राम पंचायतों के मुखिया के पदों के लिए आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अन्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1								अन्य
2	2 (W)								अन्य
3	3		अन्य						
4	4 (SC)	महिला							
5	5 (W)		अन्य						
6	6 (W)				अन्य				
7	7 (SC)	महिला							
8	8							महिला	
9	9	महिला							
10	10 (W)			महिला					
11	11 (SCW)	महिला							
12	12		अन्य						
13	13 (BC)				अन्य				
14	14	महिला							
15	15 (W)		अन्य						
16	16 (BC)	महिला							
17	17 (W)		अन्य						
18	18 (BCW)				अन्य				
19	19 (SCW)		अन्य						

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

**अनुसूची
प्रपत्र - 3**

प्रखंड हसनपुर के पंचायत के आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (मुखिया पद हेतु)

राज्य - बिहार
जिला - समस्तीपुर
प्रखंड - हसनपुर

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2	3	4
1	समस्तीपुर/हसनपुर/परोरिया का निर्वाचन क्षेत्र - 1	पिछड़ा वर्ग	अन्य
2	समस्तीपुर/हसनपुर/मंगलगढ़ का निर्वाचन क्षेत्र - 2 (W)	पिछड़ा वर्ग	अन्य
3	समस्तीपुर/हसनपुर/नयानगर का निर्वाचन क्षेत्र - 3	अनारक्षित	अन्य
4	समस्तीपुर/हसनपुर/डेयोढ़ा का निर्वाचन क्षेत्र - 4 (SC)	अनारक्षित	महिला
5	समस्तीपुर/हसनपुर/दुधपुरा का निर्वाचन क्षेत्र - 5 (W)	अनारक्षित	अन्य
6	समस्तीपुर/हसनपुर/फुलहारा का निर्वाचन क्षेत्र - 6 (W)	अनुसूचित जाति	अन्य
7	समस्तीपुर/हसनपुर/देवरा का निर्वाचन क्षेत्र - 7 (SC)	अनारक्षित	महिला
8	समस्तीपुर/हसनपुर/औरा का निर्वाचन क्षेत्र - 8	पिछड़ा वर्ग	महिला
9	समस्तीपुर/हसनपुर/नकुनी का निर्वाचन क्षेत्र - 9	अनारक्षित	महिला
10	समस्तीपुर/हसनपुर/भतवन का निर्वाचन क्षेत्र - 10 (W)	अनुसूचित जाति	महिला
11	समस्तीपुर/हसनपुर/परिदह का निर्वाचन क्षेत्र - 11 (SCW)	अनारक्षित	महिला
12	समस्तीपुर/हसनपुर/हसनपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 12	अनारक्षित	अन्य
13	समस्तीपुर/हसनपुर/मरांची ऊजागर का निर्वाचन क्षेत्र- 13 (BC)	अनुसूचित जाति	अन्य
14	समस्तीपुर/हसनपुर/सकरपुरा का निर्वाचन क्षेत्र - 14	अनारक्षित	महिला
15	समस्तीपुर/हसनपुर/रामपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 15 (W)	अनारक्षित	अन्य
16	समस्तीपुर/हसनपुर/बड़गाँव का निर्वाचन क्षेत्र - 16 (BC)	अनारक्षित	महिला
17	समस्तीपुर/हसनपुर/शासन का निर्वाचन क्षेत्र - 17 (W)	अनारक्षित	अन्य
18	समस्तीपुर/हसनपुर/अहिलवार का निर्वाचन क्षेत्र - 18 (BCW)	अनुसूचित जाति	महिला
19	समस्तीपुर/हसनपुर/मौजी का निर्वाचन क्षेत्र - 19 (SCW)	अनारक्षित	अन्य

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

(नियम 15 देखिये)

(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला -

प्रखंड -

प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (सरपंच पद हेतु)

राज्य - बिहार
जिला - समस्तीपुर
प्रखंड - खानपुर

खानपुर प्रखंड की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित जन जाति	अन्य	अनुसूचित जाति	कुल	कुल पद (कुल पंचायत)				
11	122033	29368	151412	19	4	0	3	12

ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी अपर समाहर्ता जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

(1) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{11}{151412} \times 19 = 0.00 = 0 \text{ पद}$$

(2) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{29368}{151412} \times 19 = 3.69 = 4 \text{ पद}$$

(3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 19

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 9

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद $19 \times 1/5 = 3.8 = 3$ पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 4

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या - 3

(4) अनारक्षित पदों की संख्या - $19 - (4+3) = 12$ पद

अनुसूची
प्रपत्र - 2, भाग - दो

प्रखंड खानपुर के पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या (सरपंच पद हेतु)

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	समस्तीपुर/ खानपुर/ कानु विशुनपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 1 (BC)*	0	7788	2318	10106
2	समस्तीपुर/ खानपुर/ लौआकला का निर्वाचन क्षेत्र - 2 (BC)*	0	7980	1363	9343
3	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानिकपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 3	0	5304	1474	6778
4	समस्तीपुर/ खानपुर/ करही का निर्वाचन क्षेत्र - 4 (W)*	3	5889	1374	7266
5	समस्तीपुर/ खानपुर/ बेदौली का निर्वाचन क्षेत्र - 5	0	5084	1142	6226
6	समस्तीपुर/ खानपुर/ सरैया का निर्वाचन क्षेत्र - 6 (W)*	0	6515	1594	8109
7	समस्तीपुर/ खानपुर/ कन्हौली का निर्वाचन क्षेत्र - 7 (SC)*	0	6628	1998	8626
8	समस्तीपुर/ खानपुर/ पौगम्बरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 8 (BCW)*	0	9631	2147	11778
9	समस्तीपुर/ खानपुर/ भुसाव का निर्वाचन क्षेत्र - 9 (W)*	0	5927	1140	7067
10	समस्तीपुर/ खानपुर/ पिठौरी का निर्वाचन क्षेत्र - 10 (SCW)*	0	7580	2404	9984
11	समस्तीपुर/ खानपुर/ सिसई का निर्वाचन क्षेत्र - 11 (W)*	0	7220	1571	8791
12	समस्तीपुर/ खानपुर/ सहाजीतपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 12	0	4335	875	5210
13	समस्तीपुर/ खानपुर/ सतुआ का निर्वाचन क्षेत्र - 13 (SC)*	0	7266	2026	9292
14	समस्तीपुर/ खानपुर/ बनियापुर का निर्वाचन क्षेत्र - 14	0	5662	1137	6799
15	समस्तीपुर/ खानपुर/ कराह का निर्वाचन क्षेत्र - 15 (W)*	0	6576	999	7575
16	समस्तीपुर/ खानपुर/ हरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 16	8	5410	845	6263
17	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानोपाली का निर्वाचन क्षेत्र - 17 (W)*	0	6252	987	7239
18	समस्तीपुर/ खानपुर/ धवरी का निर्वाचन क्षेत्र - 18 (SCW)*	0	6540	2396	8936
19	समस्तीपुर/ खानपुर/ गोआपिपरपाती का निर्वाचन क्षेत्र - 19	0	4726	1308	6034
		11	122033	29368	151412

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

* वर्ष 2006 के निर्वाचन में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

प्रपत्र - 2, भाग - तीन

प्रखंड खानपुर के पंचायतों की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में (सरपंच पद हेतु)

क्रमांक	अवरोही क्रम में प्र.ज.जा की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	16	9631	8 ✓	2404	10 X	11778	8 X
2	3	4	7980	2 ✓	2396	18 X	10106	1 X
3			7788	1 X	2318	1 ✓	9984	10 ✓
4			7580	10 ✓	2147	8 X	9343	2 X
5			7266	13 ✓	2026	13 X	9292	13 ✓
6			7220	11	1998	7 X	8936	18 ✓
7			6628	7	1594	6 ✓	8791	11
8			6576	15	1571	11 ✓	8626	7
9			6540	18	1474	3 ✓	8109	6
10			6515	6	1374	4	7575	15
11			6252	17	1363	2	7266	4
12			5927	9	1308	19	7239	17
13			5889	4	1142	5	7067	9
14			5662	14	1140	9	6799	14
15			5410	16	1137	14	6778	3
16			5304	3	999	15	6263	16
17			5084	5	987	17	6226	5
18			4726	19	875	18	6034	19
19			4335	12	845	16	5210	12

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

प्रपत्र - 2, भाग - चार (सरपंच पद के लिए)

पंचायत समिति खानपुर के ग्राम पंचायतों के मुखिया के पदों के लिए आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जन जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य		अनुसूचित जाति	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 (BC)							महिला	
2	2 (BC)					महिला			अन्य
3	3						अन्य		
4	4 (W)								
5	5					महिला			
6	6 (W)							महिला	
7	7 (SC)					महिला			
8	8 (BCW)					महिला			
9	9 (W)						अन्य		
10	10 (SCW)			महिला					अन्य
11	11 (W)								
12	12						अन्य		
13	13 (SC)				अन्य				
14	14					महिला			
15	15 (W)						अन्य		
16	16					महिला			
17	17 (W)						अन्य		
18	18 (SCW)				अन्य				
19	19						अन्य		

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

**अनुसूची
प्रपत्र - 3**

प्रखंड खानपुर के पंचायत के आरक्षित किये गये निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (सरपंच पद हेतु)

राज्य - बिहार
जिला - समस्तीपुर
प्रखंड - खानपुर

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2	3	4
1	समस्तीपुर/ खानपुर/ कानु विशुनपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 1 (BC)	अनुसूचित जाति	महिला
2	समस्तीपुर/ खानपुर/ लौआकला का निर्वाचन क्षेत्र - 2 (BC)	अनारक्षित	महिला
3	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानिकपुरा का निर्वाचन क्षेत्र - 3	अनुसूचित जाति	अन्य
4	समस्तीपुर/ खानपुर/ करही का निर्वाचन क्षेत्र - 4 (W)	अनारक्षित	अन्य
5	समस्तीपुर/ खानपुर/ बेदौली का निर्वाचन क्षेत्र - 5	अनारक्षित	महिला
6	समस्तीपुर/ खानपुर/ सरेया का निर्वाचन क्षेत्र - 6 (W)	अनुसूचित जाति	महिला
7	समस्तीपुर/ खानपुर/ कन्हौली मनोहर का निर्वाचन क्षेत्र - 7 (SC)	अनारक्षित	महिला
8	समस्तीपुर/ खानपुर/ पैगम्बरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 8 (BCW)	अनारक्षित	महिला
9	समस्तीपुर/ खानपुर/ भुसाव का निर्वाचन क्षेत्र - 9 (W)	अनारक्षित	अन्य
10	समस्तीपुर/ खानपुर/ पिठौरी का निर्वाचन क्षेत्र - 10 (SCW)	पिछड़ा वर्ग	महिला
11	समस्तीपुर/ खानपुर/ सिसई का निर्वाचन क्षेत्र - 11 (W)	अनुसूचित जाति	अन्य
12	समस्तीपुर/ खानपुर/ सहाजीतपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 12	अनारक्षित	अन्य
13	समस्तीपुर/ खानपुर/ सतुआ का निर्वाचन क्षेत्र - 13 (SC)	पिछड़ा वर्ग	अन्य
14	समस्तीपुर/ खानपुर/ बनियापुर का निर्वाचन क्षेत्र - 14	अनारक्षित	महिला
15	समस्तीपुर/ खानपुर/ कराह का निर्वाचन क्षेत्र - 15 (W)	अनारक्षित	अन्य
16	समस्तीपुर/ खानपुर/ हरपुर का निर्वाचन क्षेत्र - 16	अनारक्षित	महिला
17	समस्तीपुर/ खानपुर/ मानोपाली का निर्वाचन क्षेत्र - 17 (W)	अनारक्षित	अन्य
18	समस्तीपुर/ खानपुर/ धवरी का निर्वाचन क्षेत्र - 18 (SCW)	पिछड़ा वर्ग	अन्य
19	समस्तीपुर/ खानपुर/ गोआपिपरपाली का निर्वाचन क्षेत्र - 19	अनारक्षित	अन्य

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

(नियम 15 देखिये)

(आरक्षण कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी)

जिला - गया

प्रखंड -

प्रपत्र - 2, भाग - एक

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद (जिला परिषद सदस्य)

राज्य - बिहार
जिला - गया

गया जिला परिषद की ग्रामीण जनसंख्या					कोटिवार अनुमान्य कुल पद			
					अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल	कुल पद				
2047979	946936	1224	2996135	46	15	0	8	23

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

(1) अनुसूचित जनजाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{1224}{2996135} \times 46 = 0.02 = 0 \text{ पद}$$

(2) अनुसूचित जाति हेतु अनुमान्य पद की गणना

$$\text{जनसंख्या का प्रतिशत} = \frac{946936}{2996135} \times 46 = 14.54 = 15 \text{ पद}$$

(3) पिछड़े वर्ग हेतु अनुमान्य पद की गणना

(क) कुल पद - 46

(ख) कुल पदों का यथाशक्य 50% पद - 23

(ग) कुल पदों का यथाशक्य 20% पद $46 \times 1/5 = 9.2 = 9$ पद

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों की संख्या - 15

(ङ) पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या = 8 (चूँकि $15 + 9 = 24 > 23$)

(50% की अधिसीमा के अधीन)

(4) अनारक्षित पदों की संख्या - $46 - (15+8) = 23$ पद

अनुसूची
प्रपत्र - 2, भाग - दो

गया जिला परिषद का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम	निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत जनसंख्या			
		अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -1 (BC)*	63770	16977	14	80761
2	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -2 (BC)*	57919	19927	0	77846
3	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -3	50458	14289	12	64759
4	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -4	33615	11494	26	45135
5	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -5 (BCW)*	58203	23602	3	81808
6	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -6	48297	16788	0	65085
7	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -7	43960	12863	0	56823
8	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -8	41398	13961	0	55359
9	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -9 (SCW)*	51673	21062	0	72735
10	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -10	50164	20034	0	70198
11	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -11 (SCW)*	57273	21706	0	78979
12	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -12 (SC)*	44929	20431	0	65360
13	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -13 (SCW)*	52729	24521	69	77319
14	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -14 (W)*	59767	5210	0	64977
15	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -15 (W)*	38213	15840	0	54053
16	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -16 (W)*	42012	17314	0	59326
17	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -17	31662	21802	0	53464
18	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -18 (SC)*	36685	18367	0	55052
19	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -19 (SCW)*	52782	21340	77	74199
20	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -20 (W)*	36787	22102	0	58889
21	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -21 (W)*	42675	16202	0	58877
22	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -22	35615	15601	0	51216
23	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -23 (SCW)*	57528	26239	33	83800
24	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -24 (W)*	45448	26008	0	71456
25	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -25 (SCW)*	47425	23972	0	71397
26	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -26 (BCW)*	51808	29668	164	81640
27	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -27 (SC)*	31895	18988	29	50912
28	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -28 (SC)*	28976	20232	234	49442
29	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -29 (W)*	48177	28868	80	77125
30	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -30 (W)*	47955	27039	67	75061
31	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -31 (SC)*	29829	17656	0	47485
32	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -32	30379	21818	29	52226
33	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -33 (BC)*	66761	21826	0	88587
34	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -34	35963	25430	129	61522
35	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -35 (SC)*	37868	18373	0	56241
36	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -36 (W)*	49408	25620	67	75095
37	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -37 (BC)*	49948	30559	37	80544
38	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -38	29621	17041	0	46662
39	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -39	30304	17131	0	47435
40	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -40 (W)*	47660	23432	0	71092
41	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -41 (SC)*	42143	20585	0	62728
42	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -42 (SC)*	32096	17450	121	49667
43	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -43 (BC)*	48650	30154	33	78837
44	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -44 (BC)*	52850	30130	0	82980
45	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -45 (W)*	39833	16299	0	56132
46	गया, जिला परिषद/प्रा0 नि0 क्षे0 -46 (SCW)*	34868	20985	0	55853
		2047979	946936	1224	2996135

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

* वर्ष 2006 के निर्वाचन में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

प्रपत्र - 2, भाग - तीन

जिला परिषद गया का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या अवरोही क्रम में

क्रमांक	अवरोही क्रम में अन्य की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अ.जा. की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अ.जा. की जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में कुल जनसंख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	66761	33 ✓	30559	37 ✓	234	28	88587	33 X
2	63770	1 ✓	30154	43 ✓	164	26	83800	23 ✓
3	59767	14 ✓	30130	44 ✓	129	34	82980	44 X
4	58203	5 ✓	29668	26 ✓	121	42	81808	5 X
5	57919	2 ✓	28868	29 ✓	80	29	81640	26 X
6	57528	23 ✓	27039	30 ✓	77	19	80761	1 X
7	57273	11 ✓	26239	23 X	69	13	80544	37 X
8	52850	44 X	26008	24 ✓	67	30	78979	11 ✓
9	52782	19 ✓	25620	36 ✓	67	36	78837	43 X
10	52729	13 ✓	25430	34 ✓	37	37	77846	2 X
11	51808	26 X	24521	13 X	33	23	77319	13 ✓
12	51673	9 ✓	23972	25 X	33	43	77125	29 X
13	50458	3 ✓	23602	5 X	29	27	75095	36 X
14	50164	10 ✓	23432	40 ✓	29	32	75061	30 X
15	49948	37 X	22102	20 ✓	26	4	74199	19 ✓
16	49408	36 X	21826	33 X	14	1	72735	9 ✓
17	48650	43 X	21818	32 ✓	12	3	71456	24 X
18	48297	6 ✓	21802	17 ✓	3	5	71397	25 ✓
19	48177	29 X	21706	11 X	0		71092	40 X
20	47955	30 X	21340	19 X	0		70198	10 ✓
21	47660	40 X	21062	9 X	0		65360	12 ✓
22	47425	25 ✓	20985	46 X	0		65085	6
23	45448	24 X	20585	41 X	0		64977	14
24	44929	12	20431	12 X	0		64759	3
25	43960	7	20232	28 X	0		62728	41
26	42675	21	20034	10 X	0		61522	34
27	42143	41	19927	2 X	0		59326	16
28	42012	16	18988	27 X	0		58889	20
29	41398	8	18373	35 X	0		58877	21
30	39833	45	18367	18 X	0		56823	7
31	38213	15	17656	31 X	0		56241	35
32	37868	35	17450	42 X	0		56132	45
33	36787	20	17314	16 ✓	0		55853	46
34	36685	18	17131	39 ✓	0		55359	8
35	35963	34	17041	38	0		55052	18
36	35615	22	16977	1	0		54053	15
37	34868	46	16788	6	0		53464	17
38	33615	4	16299	45	0		52226	32
39	32096	42	16202	21	0		51216	22
40	31895	27	15840	15	0		50912	27
41	31662	17	15601	22	0		49667	42
42	30379	32	14289	3	0		49442	28
43	30304	39	13961	8	0		47485	31
44	29829	31	12863	7	0		47435	39
45	29621	38	11494	4	0		46662	38
46	28976	28	5210	14	0		45135	4

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

प्रपत्र - 2, भाग - चार

जिला परिषद गया के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षित/अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की विवरणी

क्रमांक	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अनुसूचित जन जाति		पिछड़ा वर्ग		अन्य		अनुसूचित जाति	
		महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 (BC)					महिला			
2	2 (BC)					महिला			
3	3					महिला			
4	4						अन्य		
5	5 (BCW)					महिला			
6	6					महिला			
7	7					महिला			
8	8					महिला			
9	9 (SCW)				अन्य				
10	10				अन्य				
11	11 (SCW)			महिला					
12	12 (SC)				अन्य				
13	13 (SCW)			महिला					
14	14 (W)						अन्य		
15	15 (W)						अन्य		
16	16 (W)								अन्य
17	17								अन्य
18	18 (SC)					महिला			
19	19 (SCW)			महिला					
20	20 (W)								अन्य
21	21(W)						अन्य		
22	22						अन्य		
23	23 (SCW)			महिला					
24	24(W)							महिला	
25	25 (SCW)				अन्य				
26	26 (BCW)							महिला	
27	27 (SC)						अन्य		
28	28 (SC)						अन्य		
29	29 (W)							महिला	
30	30 (W)							महिला	
31	31 (SC)						अन्य		
32	32								अन्य
33	33 (BC)					महिला			
34	34								अन्य
35	35 (SC)					महिला			
36	36 (W)								अन्य
37	37 (BC)						अन्य	महिला	
38	38								अन्य
39	39								अन्य
40	40 (W)								अन्य
41	41 (SC)					महिला			
42	42 (SC)						अन्य		
43	43 (BC)							महिला	
44	44 (BCW)							महिला	
45	45 (W)						अन्य		
46	46 (SCW)						अन्य		

जिला पंचायत राज
पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (पंचायत)

